रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 384] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 30, 2012/श्रावण 8, 1934

No. 384] NEW DELHI, MONDAY, JULY 30, 2012/SHRAVANA 8, 1934

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 597(अ).—ओषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 33ढ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा द्वारा यथा अपेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग), (आयुष), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इंडियन रेड क्रास सोसाइटी बिल्डिंग, नई दिल्ली- 110001 को भेजे जा सकेंगे ।

किसी भी आक्षेप या सुझाव पर, जो पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ;

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ओषधि और प्रसाधन सामग्री (पांचवां संशोधन) नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. ओषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में नियम 157 में, उपनियम (1अ) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतर्विष्ट किए जाएंगे, अर्थात् :-

" (1आ) किसी भी विनिर्मिता को अधिनियम की धारा 3 के खंड (क) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन परिभाषित आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषध के साथ किसी भी उपसर्ग या प्रत्यय का उपयोग करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(1इ) अधिनियम की धारा 3 के खंड (ज) की परिभाषा के अधीन विनिर्मित कोई भी औषध, ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की प्रथम अनुसूची की पुस्तकों में उल्लिखित विनिर्मितियों के नामों से मिलती जुलती या उसकी नकल नहीं होनी चाहिए ।"

[सं. के. 11020/06/2011 डीसीसी(आयुष)]
बाला प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. 28-10जे45-एच (I), तारीख 21-12-1945 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 573(अ), तारीख 17-07-2012 द्वारा किए गए ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2012

G.S.R. 597(E).— The following draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, which the Central Government proposes to make rules in exercise of the powers conferred by section 33N of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), is hereby published as required by the said section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of forty five days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary (Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy) (AYUSH), Ministry of Health and Family Welfare, Indian Red Cross Society Building, New Delhi-110 001;

Any objection or suggestion, which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period specified above, will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULE

1. (1) These rules may be called the Drugs and Cosmetics (5th Amendment) Rules, 2012
   (2) They shall come into force the date of their final publication in the Official Gazette

2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, in rule 157 after sub-rule (1A) the following sub-rules shall be inserted, namely:-

"(1B) No manufacturer shall be allowed to use any prefix or suffix with the Ayurveda Siddha and Unani Medicine defined under clause (a) of section 3 of the Act and the rules made thereunder.

(1C) No medicine manufactured under the definition of clause (h) of section 3 of the Act should resemble or mimic the names of formulations mentioned in the books of First Schedule of the Drugs and Cosmetics Act 1940."

[No. K. 11020/06/2011-DCC (AYUSH)]

BALA PRASAD, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in Official Gazette vide Notification No. F. 28-10j45-H (l), dated 21-12-1945 and the last amended vide G.S.R. No. 573(E), dated 17-7-2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110061
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054